संख्या:818/2023/2509/35-4-2023/35-4099/24/2021

प्रेषक,

जे0एल0यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 26 सितम्बर, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-मीरजापुर में शासनादेश संख्या-134/2021/1390/35-4-2021, दिनांक 16 सितम्बर, 2021 द्वारा स्वीकृत 05 कार्यों में से क्रमांक 03 पर अंकित कार्य यथा-**आचार्य जी मंदिर सड़क धीरेन्द्र सोनकर के प्लाट से खैरूद्दीनपुर वाया श्री विश्राम सिंह महाविद्यालय से होते हुए राष्टीय राजमार्ग पिरल्लीपुर पावर हाउस तक सड़क निर्माण कार्य** हेतु जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्र संख्या-597/त्व0आ0वि0यो0/2022-23 दिनांक 03-08-2022 के साथ संलग्न अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- मीरजापुर के पत्र संख्या-418/ग्रा0आ0वि0/त्व0आ0वि0यो0/पत्रा0सं0/2022-23 दिनांक 26-06-2023 द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में उक्त वर्णित कार्य का री-एलाइनमेंट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16 सितम्बर, 2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(जे0एल0यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या:818/2023/2509(1)/35-4-2023/35-4099/24/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, विन्ध्याचल मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मीरजापुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मीरजापुर।
13- अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0यादव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।